न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–एम० 13/19

धारा–107 द०प्र०सं०

अलका देवी वगैरह .....प्रथम पक्ष

बनाम

अभिमन्यु महतो वगैरह .....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश	
21/10/2019	प्रस्तुत वाद में सोनाहातु (राहे) थाना अप्राथमिकी संख्या–01/19 दिनांक–20/02/19 में प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द०प्र०सं० के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। यह विवाद दोनों पक्ष में आपस में गाली–गलौज एवं मारपीट को लेकर उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें एक दूसरे पर शांति भंग करने से संबंधित आरोप लगाया गया है। प्रथम पक्ष गवाह सं० 1 :– होलिका देवी, पति–संतोष महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं दोनों पक्षों को जानती हूँ। 07/02/2019 को रात को मटर चोरी हुआ था। अलका देवी सुबह खेत देखने गई थी, तो देखी की मटर का पौधा उखड़ा हुआ था। यह देखकर अलका देवी हल्ला–गुल्ला करने लगी। तब द्वितीय पक्ष पार्टी संख्या–02, सुरेश महतो लाठी लेकर अचानक अलका देवी को मारना शुरू किया और अलका देवी गिर गई तो अभिमन्यु महतो उसे पीछे से लात मारा। मारने–पीटने के बाद अलका देवी के साथ हमलोग थाना गये रिपोर्ट दर्ज करने के बाद थाना वाला ईलाज के लिए सोनाहातु सरकारी अस्पताल भेज दिया। इस संबंध में धारा 323/341/504/34 भा०द०वि० के तहत राँची कोर्ट में भी GR केस चल रहा है। अभी भी प्रथम पक्ष के अलका देवी एवं धनेश्वर महतो को द्वितीय से जान–माल का खतरा है। अलका देवी एवं धनेश्वर महतो मेरा बहन और दामाद लगता है। हमलोग मटर का नुकसान कौन किया है, करते हुए हमलोग नहीं देखें है। ऐसी बात नहीं है कि हमलोग गंदा–गंदा गाली दिए थे। जब से केस हुआ है उभय पक्ष के बीच मारपीट लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष पार्टी गवाह:– धनेश्वर महतो, पिता–मेघनाथ महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि मैं इस वाद का प्रथम पक्ष हूँ। 07/02/2019 को रात्रि के समय घटना हुई थी। विवाद मटर उखाड़ने को लेकर हुआ था। खेत में मटर का पौधा उखड़ा हुए देखें। तब मेरी पत्नी हल्ला–गुल्ला की। किसी का नाम लेकर मेरी पत्नी गाली–गलौज नहीं की थी। तब सुरेश महतो अचानक लाठी लेकर आया और मेरी पत्नी को मारने लगा। अभिमन्यु महतो भी आया ओर लात से मेरी पत्नी को मारा। इसमें मेरी पत्नी घायल हो गई और थाना गई। उसके बाद पुलिस हमलोग को चिठ्ठी बनाकर सोनाहातु सरकारी अस्पताल ईलाज के लिए भेजा। इस विवाद के संबंध में राँची कोर्ट में भी मामला चल रहा है। अभी भी द्वितीय पक्ष से जान का खतरा बना हुआ है। द्वितीय पक्ष से कभी भी हमलोगों के साथ मारपीट होने का संभावना बना हुआ है। मेरी पत्नी गंदा–गंदा गाली नहीं बक रही थी। घटना में घायल अलका देवी हुई है। केहुनी और टांग में चोट लगा था। मारपीट के समय मेरा बच्चा भी गिर गया था। मैं उसको संभाल रहा था। इसलिए पत्नी को पीटते समय बचा नहीं सका। केस होने के बाद द्वितीय पक्ष से लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ है। द्वितीय पक्ष गवाह सं० 1 :– राजकुमार महतो, पिता–महेश्वर महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि यह घटना 8 फरवरी 2019 की है। मेरे पहुँचने से पहले ही प्रथम पक्ष के द्वारा केस कर दिया गया। अभी केस होने के बाद उभय पक्ष के बीच कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ हैं। मैं दोनों पक्ष को जानता हूँ। प्रथम पक्ष के लोग अच्छे आदमी है। घटना 08/02/2019 की है। मुझे 1 से 2 बजे के दिन में खबर मिला। दोनों मटर की खेती किए थे। दोनों पक्ष के बीच विवाद हुआ उसका कारण मैं नहीं जानता हूँ। घटना के बाद पुलिस गाँव गई थी कि नहीं, मुझे नहीं पता है। द्वितीय पक्ष के सदस्य मेरे रिस्ते में चाचा लगते है। इस घटना के बारे में मैं सिर्फ सुना हूँ, देखा नहीं हूँ।	

तिथि	आदेश

08/02/2019 के बाद प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के साथ कोई गाली–गलौज मारपीट नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपनी शांतिभंग होने की संभावना नहीं है।

द्वितीय पक्ष पार्टी गवाह :– सुरेन्द्र नाथ महतो, पिता–स्व० जयदेव महतो ने अपनी गवाही के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि संतोष महतो मुखिया को फोन कहकर कहा कि मेरी पत्नी को मारा है, केस कीजिए। मुखिया हॉस्पीटल में था इसलिए प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ। गलत केस में फँसाया गया है। केस दर्ज होने के उपरांत दोनों पक्ष में कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ।केस के उपरांत शांति है, पर बातचीत नहीं। अलका देवी खेतीबारी करती है। खेतीबारी में मटर अलका देवी नहीं बल्कि उसकी माँ और जीजा के ससुर लगाये थे। मटर का पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया था, चोरी नहीं हुआ था। मटर उखाड़ने पर खेत में हल्ला कर रही थी। अलका देवी के बड़ी बहन होलिका देवी थी। नाम लेकर गाली नहीं दे रही थी। पुलिस रिपोर्ट में दर्ज नाम सही है।अलका देवी के साथ इनका केस राँची सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। दोनों पक्ष में कोई तनाव नहीं, बातचीत नहीं होती है।

वाद में प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा, गवाहों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि विवाद खेत में मटर उखाड़ने एवं गाली–गलौज को लेकर उत्पन्न हुआ है। वर्त्तमान में इनका केस राँची सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। साथ ही उभय पक्ष में विवाद कायम है एवं बातचीत नहीं होती है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष में शांति भंग होने की संभावना है।

अतः द्वितीय पक्ष अभिमन्यु महतो वगैरह को एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने उनसे 1,00,000/–(एक लाख) रूपये का बंधपत्र उसी राशि में दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने का आदेश दिया जाता है। वाद में अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/10/2019

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

21/10/2019

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.14 14:43:18 +05:30
Location: 10.93.79.5